(GCF-1,2,3,4,5+6,19,20,21,22,23, VDCF-1 & 2, VCF-1,2 & 4, SCF-1,2,6,7 & 8, Nov.-20 PD & GD, Foundation Nov.-19 Rep.)

DATE: 08.10.2020 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions.
Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) कम्पनी नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार जब तक एक सदस्य कम्पनी को पंजीकृत हुए 2 वर्ष नहीं हो जाते तब तक वह अन्य किसी कम्पनी में परिवर्तित नहीं हो सकती सिवाय यदि कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रू. से ज्यादा हो जाये अथवा कम्पनी का टर्नओवर जो की औसत वार्षिक टर्नओवर होगा वो 2 करोड से ज्यादा हो जाये। **{2 M}**

दी गई समस्या में मि. अनिल ने एक एकल व्यक्ति कम्पनी 16 अप्रेल 2018 को बनाई है, और इसका वार्षिक आर्वत (Turnover) 2.25 करोड़ है, जबकि कम्पनी को बने हुए 2 साल का समय नहीं हुआ है परन्तु इसका वार्षिक औसत आर्वत (Turnover) 16 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में 2 करोड़ से ज्यादा है। मि. अनिल इसलिये इस कम्पनी को निजी कम्पनी में सुनील के साथ परिवर्तित कर सकते हैं। **{2 M}**

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की **धारा 69** में यह प्रावधान है कि, ''जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है'', तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है। **{3 M}**

दिये गये प्रशन में W ने Z की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। इसलिए W , Z से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) फर्म के समापन व साझेदारी के समापन में अन्तरः–

क्र. स.	अन्तर का आधार	फर्म का समापन	साझेदारी का समापन
1	व्यवसाय का चलते रहना	यह साझेदारी में व्यवसाय के अवरूद्ध होने का समावेश करता है।	यह व्यवसाय के चलते रहने को प्रभावित नहीं करता। यह केवल फर्म के पुनर्गठन का ही समावेश करता है।
2	समापन	यह फर्म के समापन का समावेश करता है तथा सम्पत्तियों की वसूली तथा दायित्वों के निपटान की अपेक्षा करता है।	यह केवल पुनर्गठन का ही समावेश करता है तथा केवल फर्म के दायित्वों एवं सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की ही अपेक्षा करता है।
3	न्यायालय का आदेश	एक फर्म को न्यायालय के आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकता है।	साझेदारी का समापन न्यायालय द्वारा इसका आदेश नहीं किया जा सकता है।
4	क्षेत्र	यह अनिवार्यतः साझेदारी के समापन का समावेश करता है।	यह फर्म के समापन का समावेश कर सकता है या नहीं कर सकता है।
5	पुस्तकों को अन्ततः बन्द करना	यह फर्म की पुस्तकों के अन्तिम बन्द होने का समावेश करता है।	यह पुस्तकों के अन्तिम बन्द किये जाने का समावेश नहीं करता।

{1 M for each 4 points}

Answer 2:

(a) निस्तार तथा समापन
(WINDING UP AND DISSOLUTION)
निस्तार तथा समापन (Winding Up and Dissolution) (धारा 63) – एक LLP का समापन स्वैच्छिक तौर पर या ट्रिब्युनल द्वारा हो सकता है, तथा इस प्रकार समाप्त हुई LLP समाप्त हो सकती है। **{1/2 M}**

परिस्थितियॉ जिनमें LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है (Circumstances in which LLP may be wound Up by Tribunal) (धारा 64) – एक LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समाप्त किया जा सकता है – **{1 M for each 5 points}**

(अ) यदि LLP निर्णय लेती है कि LLP को ट्रिब्युनल द्वारा समापन कर दिया जाये,
(ब) यदि, 6 माह से अधिक अवधि के लिए, LLP के साझेदारों की संख्या 2 से नीचे तक घट जाती है,
(स) यदि LLP अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हों,
(द) यदि LLP ने भारत की अखण्डता तथा स्वायत्ता, देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हितों के विरूद्ध काम किया है।
(ई) यदि LLP किसी पॉच निरन्तर वित्तीय वर्षो के लिए वार्षिक रिटर्न या खाता तथा शोधन क्षमता का विवरण रजिस्ट्रार के पास फाईल करने में भूल पर रही है, या
(फ) यदि ट्रिब्युनल का ऐसा मत है कि यह न्यायोचित तथा समतापूर्ण होगा कि LLP का समापन कर दिया जाये।

समापन तथा निस्तार के लिए नियम (Rules for Winding Up and Dissolution) (धारा 65) – केन्द्रीय सरकार LLP के निस्तार तथा समापन के लिये नियम एवं उपबंध बना सकती है। **{1/2 M}**

Answer:

(b) गारण्टी कम्पनी से अभिप्राय (Meaning of Gurantee Company):– जब यह प्रस्तावित किया जाता है कि कम्पनी को सीमित दायित्व के साथ पंजीकृत करवाया जाये तो यह विकल्प उपलब्ध होता है कि कम्पनी को या तो अंश पूॅजी के आधार पर या गारण्टी के आधार पर पंजीकृत करवाया जाये। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(21) के अनुसार गारण्टी कम्पनी को उस कम्पनी के रूप में ऐसे परिभाषित करती है– ''ऐसी कम्पनी जो अपने पार्षद सीमानियम द्वारा कम्पनी के समापन के समय उस राशि को देने के लिए सहमत होते है जिसकी वह गारण्टी करते है। इस प्रकार गारण्टी कम्पनी के सदस्यों की देयता उनके द्वारा की गयी गारण्टी राशि तक ही सीमित होती है जोकि पार्षद सीमा नियम में दी गयी होती है। उन सदस्यों से उनके द्वारा गारण्टी की राशि से अधिक की मांग नही की जा सकती है कम्पनी के अर्न्तनियम मे उन सदस्यों की संख्या दी जाती है जो उस कम्पनी का पंजीकरण करवाना चाहते है। **{1 M}**

गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूॅजी आधारित कम्पनी में समानताऍ तथा भिन्नताऍ (Similarities and dis-similarities between the Guranantee company and the company baving share capital):– गारण्टी कम्पनी तथा अंश पूॅजी आधारित कम्पनी में जो सामान्य गुण होता है वह है दोनों कम्पनियों का वैधानिक दायित्व तथा सीमित दायित्व का होना अंशपूॅजी आधारित कम्पनी के अंशधारक सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूॅजी के भुगतान तक ही सीमित होता है दोनों को यह तथ्य अपने पार्षद सीमा नियम में स्पष्ट रूप से लिखना होता है, लेकिन दोनों कम्पनियों में जो भिन्नता होती है वह मुख्य रूप में निम्न रूप से होती है। **{1 M}**

गारण्टी कम्पनी के सदस्यों को अपनी देयता को केवल उस समय करना होता है जब कम्पनी का विघटन हो रहा हो और उन सदस्यों को उनके द्वारा की गारण्टी राशि का भुगतान उस विघटन के समय देना होता है जोकि उन सदस्यों का दायित्व होता है पर अंश पूॅजी आधारित कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के जीवन काल में कभी भी उनके द्वारा अप्रदत्त अंश पूॅजी को देने के लिए कहा जा सकता है या ऐसा तब किया जा सकता है जब कम्पनी का विघटन किया जा रहा हो। **{2 M}**

इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने नरेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम सरोज मालू (1995) 6 एस.सी. 114 में यह निर्धारित किया है कि किसी गारण्टी कम्पनी द्वारा किसी सदस्य द्वारा उसके हित के हस्तान्तरित करने से मना करना अंश पूॅजी आधारित कम्पनी के सदस्य द्वारा अपने हित का हस्तान्तरण से बिल्कुल भिन्न होता है गारण्टी कम्पनी की सदस्यता से मिलने वाले लाभ–हित किसी साधारण अंश पूॅजी धारक को मिलने वाले लाभ हितों से बिल्कुल भिन्न होते है और गारण्टी कम्पनी की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वह कम्पनी ने **{2 M}**

अपने सदस्यों से कोई पूँजी नहीं उगाही है इसलिए ऐसी कम्पनी वहीं पर उपयोगी हो सकती है जहॉ पर कार्यशीलता कोष की आवश्यकता नहीं होती है और यह धनराशि अन्य साधन जैसे कोई न्यायसीधन, फीस, प्रभार, दान से उगाही जा सकती है।

Answer 3:

(a) वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 24 के अनुसार जब, कोई वस्तु क्रेता को ''विक्रय या वापसी'' के आधार पर दी जाती है तो विक्रय निम्न दशाओं में मान लिया जाता है। **{3 M}**

(1) क्रेता क्रय के लिए अपनी सहमती दे दे।

(2) वह उचित समय बीत जाने के बाद भी माल पुनः ना लौटाये।

(3) कोई ऐसा कार्य करे जो यह दर्शाता हो, उसने माल स्वीकार कर लिया है जैसे गिरवी, निक्षेप आदि।

उपरोक्त मामले में जोशी ने जैसी ही कार श्री गणेश को गिरवी रखी, वह कारके मालिक बन गए और अब प्रीति कार वापिस नहीं मांग सकती, हालाकि प्रीति को अधिकार है कि वह कार की कीमत जोशी से प्राप्त करें। **{3 M}**

Answer:

(b) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार अवयस्क से संबंधित निम्न प्रावधान है :– **{3 M}**

- अवयस्क को वयस्क होने के 6 माह के भीतर या उसको इस बात की जानकारी होने कि उसको साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, जो भी तिथि बाद में आये, अवयस्क साझेदार को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह एक साझेदार रहेगा या फर्म को छोड़ेगा। यदि वह ऐसा नोटिस देने में भूल करता है, तो वह उक्त 6 माह के बीतने के बाद फर्म का एक साझेदार बन जायेगा।
- वह साझेदारी के लाभों में शामिल किये जाने के बाद किये गये फर्म के सभी कार्यो के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है।
- यदि वह साझेदार नहीं बनने का चयन करता है, तो उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे एक अवयस्क के रूप में रहे है। उसका भाग नोटिस की तिथि के बाद किये गये फर्म के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होगा।

1. दिये गये मामले में मि. X सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहा है, इसलिये वह M/s ABC and Co. भी साझेदार बन जायेगा, वह तृतीय पक्षकार मि. L के प्रति व्यक्तिगत् रूप से जिम्मेदार माना जायेगा। **{$1^{1/2}$ M}**

2. उपयुक्त वैधानिक प्रावधान के अनुसार मि. X 6 महीने में यह सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहे हैं कि वह साझेदार बनना चाहते हैं अथवा नहीं, इसलिये 6 महीने बीत जाने के बाद मि. X को स्वतः ही साझेदार मान लिया जायेगा, और मि. L ऋण की राशि उससे उसी प्रकार वसूल कर सकते हैं, जैसे किसी अन्य साझेदार से वसूल कर सकते हैं । **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 4:

(a) जब एक या एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त वचन देते है तो वचनग्रहीता (विपरीत करार न होने की दशा में) ऐसे किसी एक अथवा एक से अधिक वचनदाताओं को सारा अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसी दशा में अनुबंध का निष्पादन करने वाले संयुक्त वचनदाता अन्य संयुक्त वचनदाताओं से अंशदान की मांग कर सकते है। (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 43) यदि एक अथवा एक से अधिक संयुक्त वचनदाता असफल रहते है तो बाकी के संयुक्त वचनदाता इस कारण से होने वाली हानि को बराबर–बराबर सहन करेंगे। अतः इस प्रश्न में A प्राप्त करने का अधिकारी है: **{3 M}**

(1) C की सम्पत्तियों में से रू. 10,000 (1/5, रू.10,000का) तथा C का अंशदान रू.50,000 (1/3, रू. 1,50,000 का)

(2) B से रू. 70,000[रू. 50,000 अपना स्वयं का भाग + 1/2 (रू. 50,000 – रू. 10,000) यानि रू. 20,000] C के दिवालिया हो जाने के कारण रू. 40,000 की पूरी हानि का 1/2 अंश A, B से रू. 70,000 वसूल कर सकता है। **{3 M}**

Answer:

(b) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार मात्र मौन रहना कपट का लक्षण नहीं है। जो कि किसी व्यक्ति की ईच्छाओं को प्रभावित करता है। जब तक कि मौन रहना बोलने के समान न हो। **{$1^{1/2}$ M}**

इस प्रश्न में –

(a) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध है क्योंकि मौन रहना ऐसी स्थिति में जो किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करे कपट नहीं है। इसलिए विक्रेता दुष्परिणामों को बताने के लिए उत्तरदायी नहीं है। **{$1^{1/2}$ M}**

(b) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध नहीं होगा क्योंकि P का यह उत्तरदायित्व है कि घोडे की अस्वस्थता के बारे में Q को बताऐं क्योंकि उनके मध्य पिता पुत्री का वैश्वासिक सम्बन्ध है। यहां मौन रहना बोलने के समान है। इसलिए यह कपट होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

(c) धारा 17 के अनुसार यह अनुबन्ध वैध नहीं होगा यहां मौन रहना बोलने के समान है। इसलिए यह कपट होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 5:

(a) इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या एक पंजीकृत फर्म के (जिसके व्यापार को उसके एक साझेदार की मृत्यु के पश्चात समापन के पश्चात जारी रखा जाता है) शेष साझेदारों द्वारा, उस स्थिति के पश्चात् किये गये व्यवहार अथवा सौदों के सम्बन्ध में, फर्म के पंजीयक को फर्म की संरचना में परिवर्तन के विषय में सूचित किये बिना, मुकदमा किया जा सकता है, शेष साझेदारों द्वारा कथित रूप से बाद में किये गये व्यवहार अथवा सौदों के विषय में मुकदमा किया जा सकता है, शेष को दोबारा उसके कथित समापन के पश्चात् पंजीकृत नहीं किया गया था ओर उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था और उक्त साझेदार के विषय में कोई नोटिस पंजीयक को नहीं दिया गया था। **{2 M}**

इन समस्त मामलों में जो परीक्षण लागू किया गया था वह यह था कि क्या वादी ने दो आवश्यकताओं को पूर्ण किया था :–

(i) मुकदमा उस फर्म के द्वारा अथवा उसके आधार पर किया गया हो जो, पंजीकृत की गई थी

(ii) जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया है, उसे फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में दिखाया गया था। **{2 M}**

उत्तर :– अतः हम कह सकते है कि :–

इस मामलें में B और C के द्वारा X के विरूद्ध मुकदमा किया जा सकता है।

अब उपरोक्त उदाहरण में यदि 1972 में B और C ने एक साझेदार D को शामिल कर लिया था और उसके पश्चात् X के विरूद्ध बिना पंजीकरण कराये मुकदमा किया था। **{2 M}**

उत्तर :–

इस मामलें में पहली शर्त संतुष्ट हुई है पर दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वाद प्रस्तुत किया था, उसका नाम रजिस्ट्रार के फर्म के रजिस्टर में साझेदार के रूप में प्रदर्शित नहीं था।

Answer:

(b) निम्नलिखित परिस्थितियों में शर्त भंग होने के कारण भी अनुबन्ध का परित्याग नहीं किया जा सकता।

(i) जब क्रेता किसी शर्त का अनुपालन बिल्कुल छोड़ देता है, तब एक पक्ष अपने लाभ के लिए उक्त बन्धन का परित्याग कर सकता है,

(ii) जब क्रेता शर्त को भंग करने की स्थिति को आश्वासन की स्थिति के रूप में मानने का चुनाव करता है अर्थात् वह अनुबन्ध को रद्द करने क स्थान पर मात्र हर्जाने का दावा करता है, अथवा **{1 M for each 4 points}**

(iii) जब अनुबन्ध विभाजन योग्य नहीं है और क्रेता ने या तो समस्त माल को स्वीकार कर लिया है अथवा उसके भाग को स्वीकार किया है।

(iv) जब किसी शर्त अथवा आश्वासन को पूरा किये जाने में कानून के द्वारा असम्भावना अथवा अन्यथा के कारण छूट दे सकते हैं।

Answer:

(c) इस मामले में वैध अनुबध उत्पन्न हो गया, जैसे ही J ने रू. एक वाले 3 सिक्के प्लेटफॉर्म मशीन में डाले, यह मशीन के मालिक द्वारा J को गर्भित प्रस्ताव की स्वीकृति माना जायेगा। **{2 M}**

Answer 6:

(a) जब कोई कम्पनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है तो वह व्यर्थ और शून्य माना जाता है और वह कम्पनी पर लागू नहीं किया जा सकता। **{2 M}**

उपरोक्त नियम ध्यान में रखते हुए मुद्रा लिमिटेड केवल उतना ही ऋण वापिस मांग सकती है जितना ऋण लेने का अधिकार रवि कम्पनी के पार्षद सीमा नियम में लिखा है। **{1 1/2 M}**

रचनात्मक सूचना का सिद्धान्त कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी कम्पनी के साथ अनुबन्ध करने से पहले उसके सार्वजनिक दस्तावेज पढ़ लेने चाहिए। **{1 1/2 M}**

Answer:

(b) क्रेता सावधान रहें (CAVEAT EMPTOR)

वस्तु विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत इस नियम का अर्थ है 'क्रेता सावधान रहें'। जब विक्रेता बाजार मे अपना माल दिखाता है तो यह क्रेता की जिम्मेदारी है कि वह अपने माल का सही चयन करे। यदि इसके बाद वह माल खराब निकलता है, तब क्रेता विक्रेता को अपने गलत चयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। विक्रेता के लिए यह अनिर्वाय नहीं है कि वह अपने माल की अशुद्धियाँ सार्वजनिक करें।

यह खरीदार का ही कर्तव्य है कि वह सामान खरीदने से पहले यह संतुष्टि कर ले कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सामान खरीद रहा है, वह उसके उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। यदि सामान या वस्तुएं दोषपूर्ण निकलती हैं या उसके उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती हैं या वह केवल अपने हुनर या निर्णय पर ही निर्भर रहता है, तो खरीदार विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। **{1 M}**

'क्रेता सावधान रहे' (Caveat Emptor) का नियम वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 16 में रखा गया है जो कहता है कि, ''इस अधिनियम या तत्कालीन प्रचलित किसी सन्नियम के अन्तर्गत, वस्तु विक्रय के एक अनुबंध के अंतर्गत किसी उद्देश्य विशेष के लिए गुणवत्ता या उपयुक्तता के प्रति कोई गर्भित आश्वासन या शर्त नहीं होता।''

निम्नलिखित शर्तो को पूरा किया जाना होता है–

– यदि क्रेता ने अपने क्रय के उद्देश्य को विक्रेता को स्पष्टतः बता दिया है।
– क्रेता ने विक्रेता के चातुर्य तथा निर्णयन पर भरोसा किया है, तथा
– उस विवेचन का माल सप्लाई करने का विक्रेता का व्यवसाय है। (धारा 16)

अपवाद (Exceptions) : वैसे 'क्रेता सावधान रहे' का सिद्धान्त निम्न अपवादों से ग्रस्त है –

(i) उपयोग के अनुकूल – जब विक्रेता उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के प्रकार का निर्माता अथवा व्यापारी है और क्रेता ने उसे विशिष्ट उद्देश्य हेतु उसे माल चाहिए उसको सूचित कर दिया है और विक्रेता की निपुणता तथा निर्णय पर विश्वास किया है तब यह एक गर्भित शर्त है कि माल सामान्यतः उस तात्पर्य के लिए उचित है जिसके लिए उनकी आवश्यकता है। (धारा–16(1))।

उदाहरण : एक पहाड़ी देश में भारी ट्रैफिक के लिए काम लाने हेतु कुछ ट्रक खरीदने का ऑर्डर दिया गया। विक्रेता द्वारा सप्लाई किये गये ट्रक इस उद्देश्य के लिए अनफिट थे। उपयुक्तता के प्रति यह शर्त विखण्डन का मामला बनता है।

Priest vs. Last मामले में,

'P' नामक एक ड्रेपर ने रिटेल कैमिस्ट से एक गर्म पानी की बोतल खरीदी। P ने कैमिस्ट से पूछा कि क्या यह उबलते पानी को सहन कर लेगी। कैमिस्ट ने उसे बताया कि बोतल बनाई ही गर्म पानी के लिए है। जब उसमें गरम पानी डाला गया तो बोतल फट गई तथा उसकी पत्नी घायल हो गई। निर्णय दिया गया कि कैमिस्ट 'P' को हर्जाना चुकाने के लिए दायी होगा क्योंकि वह जानता था कि बोतल को 'हॉट वाटर बोतल' के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य हेतु खरीदा गया था।

जहॉ वस्तु को किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए ही काम लाया जा सकता है तो क्रेता को उद्देश्य बताने की विक्रेता को आवश्यकता नहीं है जिसके लिए उसको माल की आवश्यकता थी। लेकिन जहॉ वस्तु को अनेक उदद्देश्यों के लिए काम लाया जा सकता है वहॉ क्रेता को विक्रेता के समक्ष वह उद्देश्य बताना चाहिये जिसके लिए उसे माल की आवश्यकता है यदि वह विक्रेता को उत्तरदायी बनाना चाहता है। **{1 M for each correct 6 points}**

Bombay Burma Trading Corporation Ltd. vs. Aga Muhammad मामले में, लकड़ी को रेलवे स्लीपर्स के रूप में प्रयोग करने के स्पष्ट उद्देश्यार्थ खरीदा गया तथा जब यह पाया गया कि यह उस उद्देश्य के लिए एकदम अनपयुक्त है तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबन्ध को त्यागा जा सकता था।

(ii) जब कोई माल उसके पेटेंट नाम या ब्राण्ड नाम – जब कोई माल उसके 'पेटंट नेम' या ब्राण्ड नेम के अन्तर्गत खरीदा जाता है तो ऐसी कोई गर्भित शर्त नहीं होती कि वस्तु विक्रय योग्य है। (धारा 16(1))।
उदाहरण : रेफ्रिजरेटर्स की विक्रय में, वस्तु का नाम ही अपने आप में बताता है कि विक्रेता आश्वासन देता है कि उद्देश्य विशेष के लिए मशीन उपयुक्त है।

(iii) वस्तु वर्णन द्वारा बेची जाती है – जब कोई वर्णन द्वारा वस्तु बेची जाती है तब यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु विक्रय योग्य है। (धारा 15)।

(iv) वस्तु की विक्रय योग्यता – जब वर्णन द्वारा वस्तु किसी ऐसे विक्रेता से खरीदी जाती है जो उन्हें प्रायः बेचता है। तब यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु विक्रय योग्य है, परन्तु यह प्रावधान वहॉ लागू नहीं होता जहॉ माल की अशुधियॉ प्रत्यक्ष जॉच से जाहिर होती हों तथा क्रेता ने माल की जॉच–पड़ताल करी हो। (धारा 16(2))

(v) नमूने द्वारा बिक्री – जब वस्तुएँ नमूने के माध्यम से खरीदी जाएँ उस स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होता अगर माल भेजे हुए नमूने से मेल नहीं खाता। (धारा 17)।

(vi) वस्तुऍ नमूने एवं वर्णन के माध्यम – जब वस्तुएँ नमूने के माध्यम के साथ–साथ वर्णन द्वारा खरीदी जाएँ उस स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होता अगर माल भेजे हुए नमूने तथा वर्णन से मेल नहीं खाता। (धारा 15)।

(vii) व्यापार में चल रही प्रथा – किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु माल के गुण तथा उपयुक्तता से सम्बन्धित गर्भित शर्तें एवं आश्वासन उस व्यापार में चल रही प्रथा द्वारा तय की जाती हैं और यदि विक्रेता उनमें चूक करें तो ''क्रेता सावधान रहे (Caveat Emptor)" का सिद्धान्त लागू नहीं होगा। (धारा 16)(3))।
उदाहरण : रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय में, व्यापार की रीतियों के द्वारा इस बात की गर्भित शर्त रहती है कि गारमैन्ट्स क्रेता पर उचित तौर पर फिट होंगे।

(viii) जब विक्रेता दोष को छुपाता है – जब विक्रेता ने माल के सम्बन्ध में कोई झूठा प्रतिनिधित्व या कपट किया है और क्रेता ने उस पर विश्वास किया है। या जब विक्रेता ने जानबूझ कर किसी दोष को छिपाया है जो माल के सामान्य निरीक्षण पर स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता तो ''क्रेता सावधान रहे (Caveat Emptor)" लागू नहीं होगा। इन सब मामलों में क्रेता अनुबन्ध को भंग कर सकता है तथा हर्जाना मॉग सकता है।

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) Passage

1. (c)
2. (d)
3. (c)
4. (c)
5. a. Parameters
   b. Monitoring

{1 M each}

Answer:

(b) 1. **Vertical Network:**

The vertical network is a formal network. It is usually between a higher ranking employee and a subordinate. In this two-way communication, immediate feedback is possible.

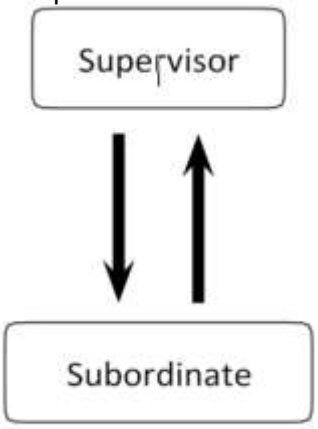

Vertical Network

{1 1/2 M}

2. **Circuit Network:**

When two persons communicate with each other sending messages and feedback, they form a communication circuit. Therefore it is known as circuit network. The two people interacting can be colleagues placed at the same hierarchical level in the organization.

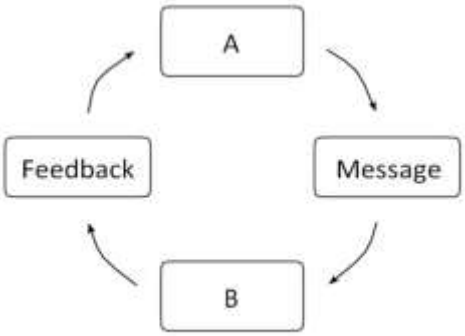

Circuit Network

{1 1/2 M}

Answer:

(c) 1. Jump on the bandwagon – an activity, group, movement, etc. that has become successful or fashionable and so attracts many new people
2. Beat a dead horse – to waste effort on something when there is no chance of succeeding

{1 M each}

Answer 8:

(a) The Fearless Indian Army

The Indian army is undoubtedly one of the finest armies in the world. Since prehistoric to modern times the Indian soldiers are one of bravest, fighting both for homeland as well as for ensuing peace even on foreign lands such as peace keeping force in Sri Lanka.

Our soldiers never surrendered before enemies. Their motto has always been 'do or die'. During Indo- china war of October – November, 1962 and later on in the Indo-Pak war of September 1965, one Indian Soldier killed many soldiers of enemy armies on various fronts. During the World war II the Indian soldiers proved their mettle on the foreign land of Europe' Africa and the Korea on various missions.

{2 M}

The Indian army has proved their superiority whenever the neighboring country Pakistan challenged us. The Kargil war In 1999 was triggered by the spring and summer incursion of Pakistan backed armed forces into territory on the Indian side of the LOC around Kargil in State of Jammu & Kashmir. The Indian forces were prepared for a major high altitude offensive against Pakistani posts along the border in the Kashmir region. India had to move five infantry divisions, five independent brigades and 44 battalions of paramilitary troops to Kashmir. The total Indian army troop strength in the region reached to 7,30,000. The build-up included the deployment of around 60 frontline aircraft. The Indian army campaign to repel the intrusion left 524 Indian soldiers dead and 1,363 wounded, as per the data released by then Indian defense minister Shri George Fernandez on December 01, 1999.

{3 M}

Answer:

(b) 1. **Concrete:** The content of your communiqué should be tangible. Base it on facts and figures. Abstract ideas and thoughts are liable to misinterpretation. Make sure that there is just sufficient detail to support your case/ argument and bring focus to the main message.

{$1^{1/2}$ M}

2. **Coherent:** Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences, and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. The key to coherence is sequentially organized and logically presented information which is easily understood. All content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a flow.

{$1^{1/2}$ M}

Answer:

(c) 1. (d) Boisterous
2. (a) Colossal

{1 M each}

Answer 9:

(a) Précis

Education for handicapped children **{1 M}**

Education opportunities for handicapped children are sparse as compared to the normal children. Expenditure on their education is treated as a wastage and rather non-productive. The view that education for handicapped requires higher costs and specialized people has led to discouragement towards development of measures

{2 M}

towards the same. The National Education Policy recommends integrating the education for handicapped with the normal children with the help of specialized teachers and other aids. Training of teachers and necessary infrastructure shall help the handicapped children and shall relieve their parents regarding worries about their education. **{2 M}**

Answer:

(b) **Emotional Awareness and Control:** "Human behavior is not under the sole control of emotion or deliberation but results from the interaction of these two processes," Loewenste in said.

However, emotions play a major role in our interactions with other people. They are a powerful force that affect our perception of reality regardless of how hard we try to be unbiased. In fact, intense emotions can undermine a person's capacity for rational decision-making, even when the individual is aware of the need to make careful decisions. **{1 1/2 M}**

Consequently, emotional awareness is a necessary element of good communication. While interacting with another person or a group, it is important to understand the emotions you and he/she/they are bringing to the discussion. Managing your own and others emotions and communicating keeping in mind the emotional state of others helps in smooth interaction and breakdown of the communication process. **{1 1/2 M}**

Answer:

(c) a. The asked his manager if he should email that letter again.
b. She asked me how I had done the sum. **{1 M each}**

Answer 10:

(a)

ABC Technopolis Ltd.
65, Nehru Nagar, New Delhi **{1 M}**
Interoflce Memo

Date : 25 July, 2016
To : Office Manager
From : Mr. Ashok Reddy, Purchase Officer **{2 M}**
Reference : 216/BM
Subject : Purchase of Office furniture

As desired, the order for the supply of office furniture (chairs and tables, sofa sets) has been placed with Shivshakti Furniture Mart, Kirbi place, New Delhi. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. The order will be completed in ten days. **{2 M}**

Answer:

(b) **Cultural barriers**: Understanding cultural aspects of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross culture people.. Understanding various cultures in this era of globalization is an **{1 M}**

absolute necessity as the existence of cultural differences between people from various countries, regions tribes and, religions, where words and symbols may be interpreted differently can result in communication barriers and miscommunications. Multinational companies offer special courses and documents to familiarize their staff with the culture of the country where they are based for work. **{2 M}**

Answer:

(c) 1. The country is covered by the corporation's sales and service organization.
2. Their new dental equipment is only being marketed by FCS in Europe. **{1 M each}**

Answer 11:

(a)

Mohit Agarwal
36, Civil Lines
Meerut, UP
Phone: 98XXXXXXXX
Email: abc@xyz.com

{1 M}

Objective:

To be associated with an organisation that offers tremendous opportunities for growth and autonomy, providing a challenging environment to harness my creative streak, innovative ideas and utilise my experience as a media correspondent to the maximum. **{1 M}**

SUMMARY:

- One year of experience as a staff correspondent in CVB TV.
- Two years of experience as Head Regional News XYZ TV
- Proven skills in content planning, selection and presentation.
- Excellent Reporting skills in English and Hindi.

{1/2 M}

EXPERIENCE:

2016 – PRESENT Head Regional News XYZ TV Meerut

- Planning and deployment of staff correspondents
- Sponsorship Planning from corporate and media houses
- Staff selection and Training
- Media Planning for regional corporate houses

2015– 2016 Staff Correspondent CVB TV

- Capturing Events
- Conceptualising stories
- Presenter for "Khufia" section of Daily News

{1/2 M}

EDUCATION:

2014 Masters in Mass Comm, ASD University, New Delhi
2012 English(H), ASD University, New Delhi

INTERNSHIPS:

2014 Two month at World Journalists Association (Articles Section)
2013 4 months at CNN TV in News production and planning

{1/2 M}

SKILLS

- Well versed with Media Software's
- Meticulous Planning and Execution skills with an eye for detail

{1/2 M}

PERSONAL DETAILS

Date of Birth 15 June, 1992
Marital Status Unmarried
Languages Known English, Hindi

{1/2 M}

DECLARATION

I solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief.

Date: Nov 13, 2018
Place: Meerut (Mohit Agarwal)

{1/2 M}

Answer:

(b) **Attitude barriers-** Personal attitudes of employees can affect communication within the organization. A proactive, motivated worker will facilitate the communication **{1 M}**

process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert or lazy employee can delay, hesitate in taking the initiative, or refuse to communicate. Attitude problems can be addressed by good management and regular interaction with staff members. **{2 M}**

Answer:

(c) a. The crowd was cheering the man who saved the child from the burning house.

b. The police booked seven movie goers in the city for disrespecting the national anthem. **{1 M each}**

__**__